शोध मंथन Vol. XIV No.I Jan.-Mar.2023 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

सत्ता का विकेन्द्रीकरण एवं महिला सशक्तिकरण

प्राप्तिः 12.03.2023
स्वीकृतः 16.03.2023

डॉ० शिवानी
एसोसिएट प्रोफेसर
डी०ए०वी० सैन्टेनरी कॉलिज, फरीदाबाद
ईमेलः *shivanitanwar1973@gmail.com*

20

सारांश

स्थानीय प्रबंधन का दायित्व जनता को सौंपने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकृत स्वशासन की अवधारणा ने जन्म लिया। स्थानीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किये जाने का उद्देश्य एक ओर जन प्रतिनिधि को समुदाय के प्रति उत्तरदायी बनाने की भावना है वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनता को अपने विकास के अवसर मुहैया कराना है। समाज में बराबर की भूमिका निभाने वाली इस शक्ति को कमजोर आंका गया। महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वायतता है। सशक्तिकरण का अर्थ, किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता से है जिसमें महिलाओं को जागरूक करके उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी साधनों को उपलब्ध कराना है। महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास एवं आत्मशक्ति को सुनिश्चित करना है। नारी का शक्ति संपन्न होना केवल उसी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता, बल्कि बच्चों एवं पुरुषों का जीवन भी लाभान्वित होता है।

मुख्य बिन्दु

विकेन्द्रीकरण, महिला सशक्तिकरण, पंचायत, स्थानीय स्वशासन आदि।

परिचय

पुराने समय में पंचायत राज व्यवस्था देश के प्रशासनिक ढाँचे का आधार स्तम्भ थी। अधिकांश राज्य छोटे थे, जिनका शासन–प्रशासन जनता के द्वारा स्वीकार्य सभा और परिषद् की सलाह से चलाया जाता था। इन राज्यों के अन्तर्गत कई गाँव आते थे, जिनके कार्यों का जिम्मा पंचायतों पर होता था। ये पंचायतें स्थानीय आधार पर नियम बनाने, गाँव की व्यवस्था चलाने, विवादों को निपटाने तथा राजा की आज्ञा को स्थानीय स्तर पर व्यवहारिक रूप में लागू करने, कर इकट्ठा करने एवं राजकोश में गाँवों का अंशदान भिजवाने आदि का कार्य करती थी तथा गाँवों के विषय में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व राजा पंचायतों की राय को ध्यान में रखता था। गाँधीजी ने पंचायत का शाब्दिक अर्थ गाँव के लोगों द्वारा चुने हुए पाँच व्यक्तियों की सभा से लिया है। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में पंचों को चुना जाता है जो कि गाँव में छोट–मोटे झगड़ों और तनावों को सुलझाते हैं, इसीलिए उन्हें पंच परमेश्वर भी कहा गया है।

पंचायती राज का अर्थ

भारत के संविधान में स्थानीय स्वशासन और पंचायत राज का उद्देश्य शामिल किया गया है परन्तु स्वतंत्रता के बाद भी एक आधी अधूरी पंचायती राज व्यवस्था खड़ी की गई, जिससे जनता की समस्याएं यथावत बनी रही। मात्र पंचायतें गठित कर देने से ही जनता की इन समस्याओं का हल नहीं होगा, बल्कि पंचायतों को पर्याप्त अधिकार एवं शक्ति संपन्न बनाया जाना तथा स्थानीय संसाधनों का नियंत्रण भी उन्हें सौपा जाना उनके सशक्तिकरण की एक आवश्यकता थी।

73 वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक आधार प्रदान करते हुए इसे प्रशासन की तीसरी शक्ति के रूप में स्थान दिया गया है और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के लिए तिहाई स्थान भी आरक्षित कर दिए गए हैं। कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर गाँवों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया है, लेकिन वास्तव में इसका लाभ महिलाओं को मिला है या नही यह एक विचारणीय एवं महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवीन पंचायती राज व्यवस्था में निहित संभावनाओं को पहचानने तथा सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जाए अथवा मुख्य रूप से किन बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, अधिकतम जनसंख्या गांवो में निवास करती है, महिलाएँ यहाँ की सामाजिक–आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों की केन्द्र बिन्दु है। महिलाओं को घर और बाहर दोनों जगह की जिम्मेदारी उठानी पडती है। ऐसे मे महिलाओं का सशक्त होना राष्ट्रहित में आवश्यक है।

राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने पंचायतों का गठन किया गया लेकिन दूसरी ओर यह अत्यंत चिंता का विषय है कि गाँव शासन की नीव राजनीति का शिकार हो गई है। विकास की अवधारणा गाँव के विकास में निहित है तथा गाँव विकास की संकल्पना पंचायतों के माध्यम से ही मुर्तरूप पा सकती है और इसके लिए हमें स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना होगा।

स्थानीयसत्ता का विकेन्द्रीकरण

स्थानीय प्रबंधन का दायित्व जनता को सौंपने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकृत स्वशासन की अवधारणा ने जन्म लिया। व्यवहार में इस सोच के पीछे एक आदर्श भावना निहित थी कि स्थानीय स्तर पर लोग योग्य प्रतिनिधि के नेतृत्व में सहभागिता से क्षेत्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक प्रगति कर सकें। स्थानीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किये जाने का उद्देश्य एक ओर जन प्रतिनिधि को समुदाय के प्रति उत्तरदायी बनाने की भावना है वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनता को अपने निवास के अवसर मुहैया कराना है। विश्व को संस्कृत तथा मानवता का पाठ पढ़ाने वाले इस देश में हमेशा से महिलाओं का पक्ष कमजोर रहा है। समाज में बराबर की भूमिका निभाने वाली इस शक्ति को कमजोर आंका गया। शायद महिला के सरल स्वभाव के चलते समाज में सब जगह पुरुष वर्ग हावी रहा।

"यत्र नार्युस्तु पुज्यते रमन्ते तत्र देवता"

जैसी उक्ति की पैरवी करने वाले शास्त्र भी देश को ऐसी सभ्यता नहीं सिखा पाये कि महिला सिर्फ दया का पात्र नहीं, बल्कि एक बड़ी शक्ति है जिसकी अवहेलना करना अपराध के साथ ही अमंगल को न्यौता देना भी है। गाँवों के इस देश में पंचायती शासन व्यवस्था हमेशा से कायम रही है परन्तु इस

व्यवस्था में भी महिलाओं को विकास के फैसलों में कोई खास महत्व नहीं दिया गया। राजनीतिक सहभागिता, जनसाधारण की उन गतिविधियों का समूह है, जो विधि के सृजन का आधार निश्चित करती हैं। स्मिथ का मानना है कि राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत परिणामों को प्रभावित करना या प्रभावित करने की चेष्टा रखते हुए किये जाने वाले सभी कार्य–कलाप, राजनीतिक सहभागिता की श्रेणी में आते हैं। मानव संसाधन का आधा हिस्सा महिलायें हैं, ये एक प्रकार से देश की राजनीतिक, आर्थिक सम्प्रभुता एवं संपदा की बराबरी की हिस्सेदार हैं। अतः देश की प्रगति का आँकलन करने के लिए उन सभी के सकारात्मक परिवर्तनों को देखना आवश्यक होता है, जो देश के मानव संसाधनों की सूची में दर्शिते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक रूप से महिलाएं पुरुषों की तुलना में पिछड़ी हैं और इस क्षेत्र में उनकी सहभागिता नगण्य है, भले ही पंचायती राज संस्थाओं में उनकी सहभागिता बढ़ी है। भारतीय नारी की सार्वजनिक जीवन एवं राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी का परिणाम है कि स्त्री–पुरुष संबंधों से जुड़े अनेक सामाजिक मुद्दों पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है।

लोकतंत्र का प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठशाला है। लोकतंत्र के सफल संचालन एवं लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार सभी राजनीतिक दल, समाज के अभिजन वर्ग, सभी बुद्धिजीवी वर्ग का यह दायित्व है कि महिलाओं के शैक्षिक स्तर का उन्नयन करें। सामाजिक व पारिवारिक जीवन में महिलाओं की बड़ी महति भूमिका है। महिलाओं के राजनीति में आने से उनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र के निर्माण में अपने योगदान के साथ–साथ देश के राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है परंतु इन सबका संबंध शैक्षणिक स्तर से हैं, शिक्षा से महिलाओं में रुढ़िवादिता, अंधविश्वास, सामाजिक संकीर्णता से मुक्ति दिलाकर उनके विकास एवं आधुनिकरण करके अपने आपको समाज, राज्य व राष्ट्र से जोड़ता है। अच्छी पढ़ी–लिखी महिलाओं में अच्छी समझ विकसित होती है। शिक्षित महिलायें अपने परिवार का अच्छी तरह संचालन करती है।

पंचायतों में महिलाओं की भूमिका

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यापक राजनीतिक सहभागिता एवं विकास के लिए स्थानीय शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है कि स्थानीय क्षेत्रों का प्रशासन वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाये। दूसरे शब्दों में चूँकि स्थानीय शासन का संचालन स्थानीय जनता के द्वारा स्वयं चलाया जाता है इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का नाम दिया गया है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय जनता द्वारा स्थानीय हित में शासन का संचालन करना है, जिसके लिए वहाँ की जनता भी उत्तरदायी होती है। आधुनिक समय में स्थानीय स्वशासन का महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि इससे प्रान्तीय एवं केंद्रीय सरकार का कार्य हल्का होता है। इसके अलावा इससे लोकतंत्र को सफल बनाने में और आर्थिक नियोजन एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी जा सकती है। नागरिक सर्वप्रथम लोकतंत्र की शिक्षा एवं राजनीतिक प्रशिक्षण यही से प्राप्त करते हैं। स्थानीय स्वशासन से ही समाज के नीचे से नीचे स्तर के लोगों को भी राजनीतिक भागीदारी प्रदान करना संभव हो जाता है जिससे लोकतंत्र का सपना साकार हो सकता है। स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज आता है।

पिछले तीन दशकों से महिलाओं की राजनीतिक भूमिका एवं सहभागिता के स्वरूप में काफी परिवर्तन आये हैं। यह परिवर्तन सूचना क्रांति, महिला मुक्ति आंदोलनों, स्वैच्छिक प्रयासों एवं 73 वें 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में उनके स्थान सुनिश्चित करते है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोकनीतियों के निर्माण में पंचायतें व नगर पालिकायें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व उद्भव, स्वरूप, परिवर्तन एवं भूमिकाओं का परीक्षण नये दृष्टिकोण से करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। प्रारम्भिक स्तर पर अधिकांश महिलायें पर्याप्त रूप से सक्रिय भूमिका में नही रही परन्तु कालान्तर में उनकी भूमिका में उत्तरोत्तर विकास हुआ है। यहाँ तक की दलित महिलाओं में भी राजनीतिक भागीदारी का विकास उभरकर सामने आया है। प्रजातांत्रिक प्रयोगों के फलस्वरूप उनकी सामाजिक विशेषताओं में जो परिवर्तन आया है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। परंपरागत उच्च वर्गों की महिलाओं की जगह पर मध्य एवं निम्न सामाजिक वर्गों की महिलायें नेतृत्व प्रदान कर रही है। शिक्षा एवं आर्थिक समृद्धि के फलस्वरूप औसत आयु में भी परिवर्तन आया है। अब युवावर्ग की महिलायें जो कि लिखी–पढ़ी भी है राजनीतिक नेतृत्व में सशक्त भागीदारी निभा रही है।

पंचायती राज व्यवस्था भारत की लोकभावना और समाज की सांस्कृतिक विरासत की मूलभावना का प्रतीक है। आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं के प्रति पुरानी सोच बदलनी होगी। पंचायतों में जबसे महिलाओं के लिए आरक्षण हुआ है तब से वे राजनीति में भी अपनी भूमिका मजबूत कर सकती है पर अक्सर देखा गया है कि ग्राम प्रधान तो महिलायें बन जाती है लेकिन कामकाज उनके पति ही संभालते हैं। ऐसे में काम–काम में महिलाओं की सोच व नजरिया सामने नहीं आ पाता है महिलाओं को खुद इतना सशक्त होना होगा कि वे अपनी सोच समझ का इस्तेमाल कर काम कर सके। महिलाओं को राजनीति में खुद अपने बलबुते पर पहचान बनानी होगी, तभी देश का विकास हो सकता है।

देश की राजनीति में आज जिस प्रकार की विषमतायें व समस्यायें बढ़ रही है जिसमें भ्रष्टाचार, अपराध का राजनीतिकरण व राजनीति का अपराधीकरण प्रमुख है। ऐसी स्थिति में महिला जो त्याग, सेवा, सहयोग, प्रेम, करूणा व कर्तव्य परायणता की पर्यायवाची है। वह समाज सेवा को अपने हाथों में लेती है व देश की राजनीति में जिम्मेदारी से सक्रिय योगदान देती है तो यह एक अच्छी बात है एक सुखद अनुभूति है जिसके परिणामस्वरूप देश की राजनीति को इन समस्याओं से निजात मिलने की सम्भावना देखी जा सकती है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है भारत में महिलाओं की राजनीतिक स्वतंत्रता की सार्थकता तभी सिद्ध होगी, उन्हें आर्थिक समानता का वातावरण उपलब्ध कराया जाये। आर्थिक रूप से सबल व सशक्त महिला भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय व सकारात्मक भूमिका निभाने में सक्षम होगी। फलतः महिला सशक्तिकरण की धारणा वैधानिक व वास्तविक दोनों ही अर्थों में सफल हो सकेगी। जहाँ एक स्तर पर महिलायें पुरूषों का मुकाबला कर रही है वहीं दूसरी ओर भ्रष्ट कार्यप्रणाली में सुधार लाने की कोशिश में भी तत्पर है। इसके अलावा वह कई अन्य क्षेत्रों में भी अपना हुनर दिखा रही है जैसे स्कूल चलाने व उसके रख–रखाव का कार्य, गरीबों के घरों में बिजली पहुँचाना एवं प्रशासनिक अधिकारियों से जबाब माँगना

आदि। यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्वाचित महिलाओं पर अन्य तरीके के दबाव भी है जहाँ पर निर्वाचित महिलायें पूर्व प्रधानों की पत्निया, बहुए है या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ी है ऐसी स्थिति में उन्हें कई प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार महिलायें एक रूढिवादी, असंवेदनशील एवं पितृसत्तात्मक समाज की दोहरी भूमिका निभा रही है जो एक साथ कर पाना बहुत कठिन है। लेकिन हमें विश्वास है कि महिला जनप्रतिनिधि परिवर्तन लाने के इच्छुक है और उनमें कुछ कर दिखाने का इरादा है। यही नहीं पंचायत के कार्यकर्ता के रूप में यह उनके लिए एक अवसर है महिलाओं के आने से ही स्थानीय प्रशासन में सहयोग और महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने की भावना जाग्रत हो सकती है। यह तभी संभव है जब निर्वाचित महिलायें अपने अधिकारों के प्रति सजग हो।

भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में लगभग आधी संख्या महिलाओं की है लेकिन किसी भी देश में महिलाओं के लिए पुरुषों के समान अवसर उपलब्ध नहीं है। विकासशील राष्ट्रों की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ अभी भी अपरिपक्व तथा परंपरागत रूढ़ियों से ग्रसित हैं, किन्तु विकसित राष्ट्रों में समस्त प्रकार की आधुनिकता के बावजूद महिलाओं को समानता का दर्जा नहीं दिया गया है। भारत में शिक्षा एवं जागरूकता के प्रसार के बाद महिलायें अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण की माँग इसी जागरूकता का लक्षण है। चूँकि महिलाओं की भूमिका समाज एवं राष्ट्र में सर्वोपरि हैं। अतः यदि उन्हें सत्ता में भागीदार बनाया जाता है तो यह निसंदेह देश के समग्र विकास की दिशा में उठाया गया एक सार्थक, महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी कदम होगा। महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने का यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि कानून तथा नीतियां तैयार करने वाली संस्थाओं अर्थात संसद एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाए।

देश के समान ही ग्राम सभाओं की आधी आबादी महिलाओं की है। उनके ज्ञान, हुनर, व्यवहारिक अनुभवों का लाभ पंचायतों को सशक्त बनाने में व ग्राम विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। महिलाओं की सोच दूरगामी होती है अतः वे किसी भी कार्य को वहुत ही अच्छे ढंग से कर सकती है साथ ही महिलायें संसाधनों का उपयोग भी सही ढंग से करती है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी इसलिए भी जरूरी है ताकि महिलाये स्वयं को कमजोर समझ कर समाज में जो हो रहा है उसे चुपचाप बर्दाश्त न करें। अपना आत्म विश्वास बढ़ाकर विकास की प्रक्रिया में बराबर की भागीदारी कर सके। अपने गाँव, क्षेत्र संबंधित निर्णयों में अपनी भागीदारी निभा सके। निर्णय स्तर पर भागीदारी निभाने से महिलाओं की आवश्यकताओं, समस्याओं, मुद्दों, प्राथमिकताओं को वरीयता मिलेगी। साथ ही महिलायें अपनी समस्याओं की ओर समुदाय, प्रशासन व नीतियों का ध्यान खींचने में सफल होंगी।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में महिला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नैरोबी में की गई। जिसका अभिप्राय महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में परिवार, समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की

स्वायतता है। सशक्तिकरण का अर्थ, किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता से है जिसमें महिलाओं को जागरूक करके उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी साधनों को उपलब्ध कराना है, ताकि उनके लिए सामाजिक न्याय और पुरुष–महिला समानता का लक्ष्य हासिल हो सके। सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से भी है क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। महिला सशक्तिकरण का आयाम नारी के अपने अधिकार, सम्मान एवं योग्यता में संवर्धन की ओर अग्रसर करना है। महिलाओं को घर और बाहर दोनों में सुरक्षित करना है जिससे उन्हें जागरूक कर शक्तिशाली बनाया जा सके। महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास एवं आत्मशक्ति को सुनिश्चित करना है। नारी का शक्ति संपन्न होना केवल उसी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालता, बल्कि बच्चों एवं पुरुषों का जीवन भी लाभान्वित होता है। नारी साक्षरता वृद्धि से बालकों एवं बालिकाओं दोनों की जीवन–आशा में सुधार होता है। केरल की उच्च जीवन–आशा दर को सहज ही उस प्रदेश की शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ जोड़ा जा सकता है। इसके विपरीत नारी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े उत्तरी राज्यों में जीवन–आशा के स्तर भी बहुत निम्न पाये जाते हैं। भारतीय समाज में नारी का दबा हुआ होना अन्याय अभावों के निराकरण में उसकी भूमिकाओं को कुंठित कर देता है। नारी की भूमिका के प्रसार से केवल बालिकाओं एवं वयस्क महिलाओं के कुशलक्षेम में सुधार नहीं आता, यह सारे समाज में व्याप्त अभावों के निराकरण में सहायक होता है। महिला सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं को शक्ति देना तथा सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित करना होता है। इनमें भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव संसाधन जैसे– सूचना, विचार, आदि सम्मिलित है। इन सबका उद्देश्य स्त्री एवं पुरुषों के बीच की शक्ति को परिवर्तित करना है ताकि समाज में शक्ति का समान रूप से वितरण किया जा सके। आर्थिक, राजनीतिक एवं कानूनी सशक्तिकरण आदि के द्वारा महिलाओं का विकास करना है और इन सबके लिए महिलाओं में ज्ञान, आत्मविश्वास, शिक्षा आदि की तीव्र गति से वृद्धि करनी होगी। जिससे महिला कल्याण कार्यक्रमों में तेजी आ सके।

सशक्तीकरण के आधारभूत मानदंडों के आधार पर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति, योगदान एवं आगे बढ़ने की संभावनाओं का मूल्यांकन किए जाने पर यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा वर्तमान में भी घोर उपेक्षा का शिकार है और उन्हें सशक्त बनाना अनिवार्य राष्ट्रीय आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण का मुख्य पक्ष स्त्रियों के अस्तित्व का अधिकार और समाज द्वारा उनकी स्वीकार्यता है। महिलाओं द्वारा स्वयं के शरीर पर प्रजनन क्षेत्र में आय, श्रमशक्ति, सम्पत्ति और सामुदायिक संसाधनों पर नियंत्रण कर पाना उनका सबलीकरण है और यही सशक्तिकरण का उद्देश्य है। सशक्तिकरण एक लक्ष्य है और संयोजित विकास की आवश्यक दशा भी है। स्त्रियों का सामाजिक, राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन प्रतिनिधित्व उनकी दक्षता में अभिवृद्धि, कार्यक्षेत्र और अन्यत्र साथ किए जा रहे बुरे व्यवहार की समाप्ति, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति आदि वे कार्य है जिनकी पूर्णता द्वारा महिला सशक्तिकरण का वास्तविक लक्ष्य पाना संभव है।

आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गये है लेकिन इन 75 वर्षों में साक्षरता की दर में भले वृद्धि हो गई हो, उन्हें आर्थिक स्वावलंबन भी प्राप्त हो गया हो किन्तु समाज आज भी उन्हें दोयम दर्जे

की नजर से देखता है। महिला–पुरुष में भेदभाव करने वाला समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। संविधान भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता है, फिर भी ऐसा किया जाता है जो कि एक हकीकत है, इसलिए महिलाओं को सशक्तिकरण की आवश्यकता है। शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मुलभूत और पहला साधन है। शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त समान व उपयोगी भूमिका दर्ज करा सकती है। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व व बुद्धि का विकास कर उसे आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक कार्यों को संपन्न करने के योग्य बनाती है। शिक्षा के आधार पर व्यक्ति में दक्षता, कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षित महिला न केवल स्वयं लाभान्वित होती है बल्कि उससे भावी पीढी भी लाभान्वित होती है। शिक्षा किसी भी प्रकार के कौशल की प्राप्ति एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के विकास के लिए पूर्णतया आवश्यक है। नारी की शिक्षा से उसका शोषण रोकने में मदद मिलेगी। निर्णय क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। शिक्षा का निर्णय लेने की क्षमता से धनात्मक एवं सार्थक संबंध है। शिक्षा द्वारा स्त्रियों के विभिन्न विषयों जैसे राजनीति, धर्म, समाज, आर्थिक एवं स्वास्थ्य पक्षों में आने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना आवश्यक है।

महिला विकास कार्यक्रमों के निर्धारण में महिलाओं से उनकी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं संबंधी राय न लिये जाने के कारण योजनाओं का आवश्यकतानुरूप निर्धारण नहीं हो पाता है। अतः ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिससे हर निर्णय व नीति निर्माण स्तर पर व उसके क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। परिवार, ग्राम व राष्ट्रीय स्तर पर लिये जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों पर महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए तथा महिला संगठनों को वैधानिक मान्यता दी जाये।

महिलाओं के सम्मुख चुनौतियाँ

संवैधानिक रूप से प्रारम्भ की गई विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व भले ही सुनिश्चित किया है। लेकिन मात्र प्रतिनिधित्व, सहभगिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पारंपारिक, सामाजिक बंधनों, लोक–लाज, छोटे–बड़े के लिहाज, आर्थिक आत्मनिर्भरता की कमी, शैक्षिक पिछड़ापन, पारिवारिक दायित्व, समयाभाव से जूझती महिलाओं के लिए अवसर मिलने पर भी निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता निभा पाना सहज संभव नहीं है। फलतः महिला पंचायत प्रतिनिधि पुरुषों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाती है, प्रधानपति का अस्तित्व इस तथ्य का प्रमाण है। आज भी महिलायें अपनी बात प्रभावी ढंग से पंचायत में रखने में असमर्थ है और पंचायतें सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं के सरोकारों पर समुचित ध्यान नहीं दे पा रही है। पंचायती चुनावों में कई क्षेत्रों में यह देखा गया है कि समाज के प्रतिभाशाली व्यक्ति अपनी ही पत्नी, बहन, माँ अथवा किसी अन्य सम्बन्धी महिला को चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर देते हैं, जो वाद में उन्हीं के इशारे पर काम करने को विवश होती है। इस प्रकार महिलाओं को एक तिहाई स्थानों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से भी एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित प्रावधान की धज्जियाँ उडाई जाती है। गाँवों में दलबंदी होने के कारण

छोटे–छोटे झगड़े होते है और जनकल्याण की योजनाओं के प्रति वे सही निर्णय नहीं ले पाती है। प्रधानमंत्री ने महिला सरपंचों को उनके बेहतर काम के लिए बधाई देते हुए उनके पतियों को काम में हस्तक्षेप न करने की सलाह दी है।

निष्कर्ष

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने महिलाओं को विकास में प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजना एवं कार्यक्रम चलाये। समाज में लिंग आधारित भिन्नता को दूर करने के लिए महिला कल्याण की नीति अपनायी। बाद में यह प्रयास महिला विकास तक पहुँचा और अब महिला सशक्तिकरण का नारा सामने आया। सुनने में चाहे महिला सशक्तिकरण का नारा कितना आकर्षक क्यों न लगे, लेकिन यह एक कड़वा सच है कि अधिकांश महिलाओं के लिए अपनी क्षमता और प्रतिभा के विकास की सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है। यदि महिला–पुरुष के विकास को लैंगिक आधार पर जाँचा जाए तो स्पष्ट विषमता नजर आती है। महिलाओं के विकास हेतु भारतीय संविधान में नियोजित विकास की रणनीति, कानूनों आदि की प्रतिबद्धताएँ तो व्यक्त की गई है। वस्तुतः किसी भी समाज के सामाजिक–आर्थिक व राजनीतिक विकास में पुरूष और महिला दोनों की ही समान भूमिका होती है। इसलिए जब सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की चर्चा की जायेगी तो उसमें पुरूष वर्ग के साथ ही महिला वर्ग के योगदान को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि किसी भी क्षेत्र अथवा राज्य की जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण भाग अर्थात महिलाओं को विकास में सम्मिलित किये बिना स्वस्थ एवं सुखमय समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। समानता विकास सशक्तता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की हर निर्णय स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तथा उसका इतिहास और भाव–भाषा वहाँ की महिलाओं के विकास, प्रगति और समृद्धि में परिलक्षित होता है। महिलायें समाज की रचनात्मक शक्ति है। उनके आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ता है। समाज की व्यवस्था–अव्यवस्था, नागरिक दायित्वों की दृढ़ता या उपेक्षा, आत्मशक्ति की दृढता या दुर्बलता जैसी संवेदनशील भावनाओं को वह जैसा चाहे वैसा मोड़ दे सकती है। वर्तमान में स्त्रियों के मध्य से एक बड़ा भाग अपनी संवादहीनता, संवेदनशीलता भीरूता एवं संकोचशीलता से मुक्त होकर सुदृढ़ समाज में अपनी भागीदारी निभाने के लिए प्रस्तुत है।

सदंर्भ

1. बसु, दुर्गादास. (2002). भारत का संविधानः एक परिचय. वाधवा एण्ड कंपनीः नई दिल्ली।
2. जन्तवाल, सावित्री कैड़ा. (2013). महिलाओं की जागरूकता का प्रतिबिम्ब, राजनीति सहभागिता. *भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका.* वर्ष–पंचम. अंक–द्वितीय. अगस्त–सितम्बर।
3. सेन, अमर्त्य. (2011). भारत विकास की दिशा. राजपाल एण्ड सन्सः दिल्ली।
4. राधाकृष्ण. (2009). पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिकाः समस्या एवं समाधान. भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका।
5. ओझा, एस. के समसामायिक राष्ट्रीय मुद्दे एवं सामाजिक प्रासंगिता. अरिहन्त प्रकाशनः मेरठ।

6. अर्चना, कुमारी. (2009). भारत में महिला राजनीतिक नेतृत्व के आयामः भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका।
7. राधाकृष्ण. (2009). पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका : समस्या एवं समाधान. भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका।
8. श्रीधर, प्रदीप. (2010). स्त्री चिंतन की अन्तर्धारायें और समकालीन हिंदी उपन्यास. तक्षशिला प्रकाशनः दिल्ली।
9. मिश्रा, रंजना. (2013). भारत में नारीः राजनीतिक परिवर्तन. कैलाश पुस्तक सदनः भोपाल।
10. पाटक, ममता. (2013). महिलायें और विकास (दशा, दिशा एवं संभावनाये) रजना मिश्रा द्वारा सम्पादित पुस्तक भारत में नारी राजनीतिक परिवर्तन. कैलाश पुस्तक सदनः भोपाल।
11. द्ववेदी, रमेश प्रसाद. (2013). भारत में जेण्डर बजट महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम. *भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका.* वर्ष–पंचम. अंक–द्वितीय. अगस्त–सितम्बर।
12. सारस्वत, ऋतु. (2015). महिला सशक्तिकरण आरक्षण से आगे. हिन्दुस्तान. 30 अप्रैल।